प्रेषिका,

शैली राय,
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
कक्ष संख्या–2, गोण्डा।

सेवा में,

महा निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषयः– मेरी प्रकाशित पुस्तक के प्रचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान आपको अवगत कराना है कि मेरा प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2020 को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे मेरी पुस्तक प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके सम्बन्ध में यह अवगत करना चाहती हूं कि उपरोक्त पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उपरोक्त पुस्तक को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया पर प्रचारित करने तथा बुक साईनिंग हेतु अनुमति देने की कृपा करें। इस प्रचार से मेरे न्यायिक कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं प्रचार केवल व केवल मेरे खाली समय में न्यायिक कार्य दिवस के उपरान्त किया जाएगा तथा इस प्रचार में किसी भी धर्म, जाति, राजनैतिक तथा किसी भी विवादित विषय को नहीं उठाया जाएगा न ही राज्य तथा केन्द्र सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाएगा।

सादर।

दिनांक–10.02.2022

भवदीया

10/2/22

(शैली राय)
अपर प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय,
कक्ष संख्या–2, गोण्डा।